

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::



भोपाल दिनांक 28/06/2019

क्र. एफ 16 -09/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्रा.लि. द्वारा सतना जिले में लगभग रू. 125.00 करोड़ के पूंजी निवेश से इंडस्ट्रीयल एवं मेडिकल गैस निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ विहित शर्तों के अध्यक्षीन दिया जावे।
2. विद्युत शुल्क से छूट - ऊर्जा विभाग की नीति अनुसार विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
3. विद्युत टैरिफ में रियायत - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार विद्युत टैरिफ में रियायत दी जावे।
4. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अंतर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्यक्षीन प्राप्त होगा।
5. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो।
6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार


(डॉ. राजेश राजवानी)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन


औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 28/06/2019

पृ.क्र. एफ 16 -09/2019/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
5. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ।
6. कलेक्टर, जिला सतना।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्रा.लि., 7th Floor, Ceejay House, Dr. Annie Basant Road, Worli Mumbai - 400018
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग